न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

(33)

प्रक0 निगरानी /2018 जिला–पन्ना निगरानी-4620/2018/पन्ना/भू.रा.सं.

1–लटोरा पिता महंगू अहिरवार

2–कमलेश पिता लटोरा चमार

निवासीगण ग्राम गुमानगंज तहसील

अजयगढ़ जिला पन्ना म0प्र0

—आवेदकगण

विरूद्ध

औमप्रकाश चौबे पिता दीनदयाल चौबे

निवासी ग्राम गुमानगंज तहसील

अजयगढ़ जिला पन्ना म0प्र0

—अनावेदकगण

निगरानी आवेदन पत्र म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत विरूद्ध आदेश दिनांक 02.01.2018 पारित द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण कमांक 544/अ–19/2010–11/निगरानी.

माननीय महोदय,

प्रकरण के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:–

1– यह कि प्रकरण के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदकगण को भूमिहीन होने के कारण तथा 1984 के पूर्व से खसरा नंत्बर 170 एवं 175 पर कमलेश का तथा खसरा नम्बर 168, 169 एवं 171 पर लटोरा का कब्जा होने के कारण तहसीलदार अजयगढ़ द्वारा प्रकरण कमांक 175/अ–19/90–91 में लटोरा को तथा प्रकरण कमांक 178/अ–19/90–91 में आवेदक कमलेश को विधिवत प्रकिया

(1) R-4620/18 - पन्ना

लोरहा / सोलपुरवा 2

21-8-18 आवेदक अभि० श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उप० । प्रकरण ग्राह्यता हेतु ।

CF-27-8-18

आयुक्त

27/8/18

27-8-18 ~~आवेदक अभि० श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उप०~~ / ग्राह्यता पर तर्क सुने / ~~प्रकरण आदेशार्थ~~ /

आदेश

27/8/18

28/8/18 (1) प्रकरण प्रस्तुत । दिनांक 27/8/18 को आवेदकगण के अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा के तर्क सुने गये । निगरानी मैमो व अधीनस्थ न्यायालय पर आयुक्त के द्वारा निगरानी में पारित आदेश दिनांक 02.01.2018 का अवलोकन किया गया ।

(2) म.प्र. भू-रा. संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत पुनरीक्षण में पारित आदेश के विरुद्ध पुनः निगरानी सुनने का प्रावधान नहीं होने के कारण निगरानी आवेदन अग्राह्य किया जाता है । —

28/8/18